



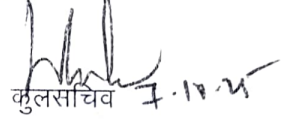
Estd : 1917

पटना विश्वविद्यालय
Patna University
NAAC Accredited B⁺

अधिसूचना

डा० शशांक भूषण लाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, पटना विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल दिनांक 09.10.2025 को पूरा हो रहा है। इनके कार्यकाल के पूरा होने के फलस्वरूप पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (अद्यतन संशोधित) की धारा 27 (5) (ए) में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति, पटना विश्वविद्यालय ने डा० महेश चन्द्र प्रसाद, प्रोफेसर व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग, पटना विश्वविद्यालय को दिनांक 10.10.2025 के प्रभाव से दो वर्षों तक या सेवानिवृत्ति की तिथि दोनों में जो भी पहले हो, तक के लिए वाणिज्य संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त करने की कृपा की है।

कुलपति के आदेश से

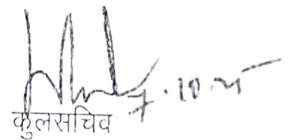

कुलसचिव 7.10.25

पटना विश्वविद्यालय, पटना

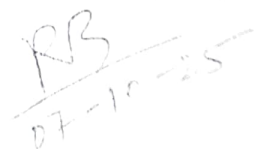
दिनांक 07-10-25

ज्ञाप संख्या/एकेड 1531

प्रतिलिपि :- 1. सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना 2. संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, राजभवन, पटना 3. सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय 4. सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय 5. सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय 6. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय 7. डा० शशांक भूषण लाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, पटना विश्वविद्यालय 8. डा० महेश चन्द्र प्रसाद, प्रोफेसर व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग, पटना विश्वविद्यालय 9. विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 10. प्रभारी पदाधिकारी, आई. टी. सेल, पटना विश्वविद्यालय (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), 11. प्रबंधक, इंडियन बैंक, पटना विश्वविद्यालय शाखा पटना, 12. सभी प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 13. सभी प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के संपादक, 14. कुलपति के निजी सचिव, पटना विश्वविद्यालय 15. प्रतिकुलपति के निजी सहायक, पटना विश्वविद्यालय को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


कुलसचिव 7.10.25

पटना विश्वविद्यालय, पटना


07-10-25



Estd : 1917

पटना विश्वविद्यालय

Patna University

NAAC Accredited B⁺

अधिसूचना

डा0 शशांक भूषण लाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, पटना विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल दिनांक 09.10.2025 को पूरा हो रहा है। इनके कार्यकाल के पूरा होने के फलस्वरूप पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (अद्यतन संशोधित) की धारा 27 (5) (ए) में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति, पटना विश्वविद्यालय ने डा0 महेश चन्द्र प्रसाद, प्रोफेसर व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग, पटना विश्वविद्यालय को दिनांक 10.10.2025 के प्रभाव से दो वर्षों तक या सेवानिवृत्ति की तिथि दोनों में जो भी पहले हो, तक के लिए वाणिज्य संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त करने की कृपा की है।

कुलपति के आदेश से

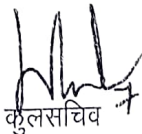

कुलसचिव 7.10.25

पटना विश्वविद्यालय, पटना

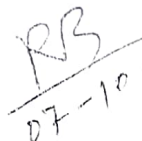
दिनांक 07-10-25

ज्ञाप संख्या/एकेड 1531

प्रतिलिपि :- 1. सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना 2. संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, राजभवन, पटना 3. सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय 4. सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय 5. सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय 6. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय 7. डा0 शशांक भूषण लाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, पटना विश्वविद्यालय 8. डा0 महेश चन्द्र प्रसाद, प्रोफेसर व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग, पटना विश्वविद्यालय 9. विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 10. प्रभारी पदाधिकारी, आई. टी. सेल, पटना विश्वविद्यालय (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), 11. प्रबंधक, इंडियन बैंक, पटना विश्वविद्यालय शाखाएँ पटना, 12. सभी प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 13. सभी प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के संपादक, 14. कुलपति के निजी सचिव, पटना विश्वविद्यालय 15. प्रतिकुलपति के निजी सहायक, पटना विश्वविद्यालय को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


कुलसचिव 7.10.25

पटना विश्वविद्यालय, पटना


07-10-25